समाहरणालय, चतरा।
(समाज कल्याण)
– अतिअल्पकालीन पुर्ननिविदा सूचना –

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अन्यक्षेत्रीय उपयोजना अन्तर्गत तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन से चतरा जिला के दिव्यांगों के लिए कृत्रिम यंत्र/उपकरण मुहैया कराने हेतु निम्न प्रकार के यंत्र/उपकरण क्रय हेतु अधिकृत आपूर्त्तिकर्त्ता/संस्थान/निर्माता से निविदा आमंत्रित की जाती है :–

01. ट्राई साईकिल बड़ा (एलिम्को कम्पनी) या समकक्ष जो आई0एस0आई0 मानक का हो।
02. ट्राई साईकिल छोटा (एलिम्को कम्पनी) या समकक्ष जो आई0एस0आई0 मानक का हो।
03. व्हील चेयर बड़ा एवं छोटा (एलिम्को कम्पनी) या समकक्ष जो आई0एस0आई0 मानक का हो।
04. वैशाखी बड़ा एवं छोटा (एलिम्को कम्पनी) या समकक्ष जो आई0एस0आई0 मानक का हो।
05. श्रवण यंत्र (ALPS)
06. ब्लाइंड स्टीक (एलिम्को कम्पनी) या समकक्ष जो आई0एस0आई0 मानक का हो।

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय (विकास भवन, चतरा) में दिनांक 13.03.2018 को 12:00 बजे मध्याह्न तक जमा करेंगे। दिनांक 13.03.2018 के 02:00 बजे अपराह्न उप विकास आयुक्त, चतरा की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति की बैठक में निविदा खोली जायगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा से संबंधित शर्तें कार्यालय के सूचना पट पर एवं **www.chatra.nic.in** पर देखा जा सकता है।

ह0/–

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
चतरा।

ज्ञापांक ....173..../स0क0 दिनांक ...5/03/2018...

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि निविदा को प्रमुख सामाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि निविदा को चतरा जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

5.3.18

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
चतरा।

निविदा की शर्तें :–

01. निविदादाता को निविदा के साथ 30,000/–(तीस हजार) रूपये का अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा के पदनाम से संलग्न करना होगा।

02. निविदादाता को प्रतिष्ठान का अद्यतन आयकर, बिक्रीकर, स्वच्छता प्रमाण–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

03. निविदा खुलने के समय निविदादाता को क्रय समिति के समक्ष प्रत्येक सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जायगा।

04. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा। तकनीकी निविदा में सफल प्रतिष्ठान का ही वित्तीय निविदा स्वीकार किया जायगा।

05. सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत नमूने के अनुरूप जिले के बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आपूर्ति आदेश निर्गत तिथि के एक सप्ताह के अन्दर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायगी।

06. झारखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निबंधित उत्पादनकर्ता/अधिकृत विक्रेता का निविदा ही मान्य होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ–पत्र देना होगा कि उनका प्रतिष्ठान/एजेन्सी काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हर प्रकार के आरोप एवं जाँच से मुक्त है।

07. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायगा।

08. आपूर्ति किये जाने वाले सामान का नमूना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय में जमा करना होगा।

09. निविदा में परिवहन, हथालन सहित सभी प्रकार के व्यय को सम्मिलित कर दर अंकित करना होगा।

10. नमूने से भिन्न सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी तथा आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायगी।

11. आपूर्ति की गयी सामानों की गुणवता उत्तम होनी चाहिए। यदि आपूर्त्ति की गयी सामग्रियों में एक साल के अन्दर कोई खराबी आती है तो उसकी मरम्मति/रख–रखाव की सारी जवाबदेही आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी जिसके लिए उन्हें अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।

12. स्वीकृत/निविदीत प्रतिष्ठान को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, चतरा के साथ एकरारनामा करना होगा।

13. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार उपायुक्त, चतरा को सुरक्षित होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14. निविदा से संबंधित जानकारी सूचना पट पर एवं जिला के वेवसाईट www.chatra.nic.in पर देखा जा सकता है।

5.3.18

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
चतरा।